उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

उत्तर मध्य रेलवे का सतत् प्रयास, कार्य कुशलता का हो विकास

झांसी मण्डल में एप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए एक्ट प्रशिक्षुओं (एक्ट एप्रेन्टिस) का चयन

पत्रांक– पी/160/एक्ट अप्रै0/डीजल/पार्ट–11 **दिनांक: 31.07.2015**

अधिसूचना संख्या 01/2015/झांसी मण्डल

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु झांसी मण्डल में वर्ष 2015–16 के लिए एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में निम्नलिखित ट्रेडों में आवेदन आमंत्रित किए जाते है:–

क्र. सं.	ट्रेड	सीटों की संख्या							प्रशिक्षण अवधि (अप्रेन्टिस एक्ट,1961 के अनुसार)
		सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	विकलांग सीटों का विवरण		
							ओ.एच	एच.एच	
1	फिटर	54	29	16	08	107	02 (OL,BL)	02	एक वर्ष
2	वेल्डर(जी&ई)	02	01	NIL	NIL	03	NIL	NIL	एक वर्ष
3	मैकेनिक(डीजल)	32	17	10	05	64	01 (OL,BL)	01	एक वर्ष
4	मशीनिष्ट	02	NIL	NIL	NIL	02	NIL	NIL	एक वर्ष
5	पेन्टर (सामान्य)	02	01	01	NIL	04	NIL	NIL	एक वर्ष
6	कारपेन्टर	03	01	01	NIL	05	NIL	NIL	दो वर्ष
7	इलेक्ट्रीशियन	04	03	02	01	10	NIL	NIL	एक वर्ष
8	फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटर	03	01	01	00	05	NIL	NIL	एक वर्ष
	कुल योग	102	53	31	14	200	03	03	

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(MPP) 2002/6/10 दिनांक–17.06.2011 के अनुसार अ.जा– 15% अ.ज.जा. 7.5% तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिये 27% आरक्षित है। अनुसूचित जाति वर्ग(SC) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर पदो को अनुसूचित जन.जाति (ST) के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर सीट अनुसूचित जाति (SC) उम्मदीवारों से भरी जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन.जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को ऐसे अभ्यर्थियों से भरा जायेगा जो अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग से सम्बन्धित नहीं है। अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सीटों को अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। भूतपूर्व कर्मचारी के बच्चो तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जिनमें निम्न शामिल है:– (i) प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शांतिकाल के दौरान मृत/अपंग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे भी शामिल है। (ii) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे (iii) सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे (v) भूतपूर्व सैनिक।

शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिये 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित है जिसके लिये केवल लोकोमोटर अक्षम या सेरेबल पलसी एवं बहरे विकलांग जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो अथवा जिनकी सुनने की क्षमता 60 डेसीबल या उससे अधिक हो, ही आवेदन कर सकते है। ऐसे उम्मीदवारों को केन्द्र/राज्य साकार द्वारा गठित मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2 प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण स्थल– रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक– 22.07.2002 (आर.बी.ई.संख्या–119/2002) के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण अवधि रहेगी। प्रशिक्षण स्थान– डीजल शैड झांसी, ए0सी0 लोको शेड झांसी व कैरिज वैगन विभाग झांसी में होगा।

पात्रता

3 आयु सीमा- अ) दिनॉक– 31.08.2015 को उम्मीदवार को 15 बर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिये तथा 24 बर्ष की आयु पूर्ण नहीं होना चाहिए। **ब)** अनुसूचित जाति ब अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 05 बर्ष एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। **स)** शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी है

4. शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना तथा एनसीवीटी से सम्बद्ध सम्बन्धित ट्रेड में आई.टी.आई पास प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।

5. वृत्तिका– रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरो पर नियमानुसार देय है।

6. आवेदन तथा बुलावा पत्र दिये गये फार्मेट के अनुसार फुलस्केल कागल पर बॉलपाइन्ट पेन से उम्मीदवार द्वारा अपनी हैण्डराइटिंग में भरकर मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, कार्मिक शाखा के डीजल अनुभाग में उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी (उत्तर प्रदेश) पिन कोड– 284003 के पते पर भेजा जाना चाहिए। लिफाफे में आवेदन पत्र तथा बुलावा पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए– "11X5 आकार के स्वयं का पता लिखे दो लिफाफे जिसमें से एक पर न्यूनतम रजिस्टर्ड डाक (रू0 27/–) के डाक टिकट लगें होने चाहिए। (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को डाक टिकट के लिए छूट है।" 6.1 आवेदक को नवीनतम पासपोर्ट साइज का 01 फोटोग्राफ आवेदन फार्म पर दिए गए निर्धारित स्थान पर तथा दूसरा फोटोग्राफ बुलावा पत्र पर दिये गए स्थान पर चिपकाना होगा। दोनों फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

6.2 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आश्वस्त होना होगा कि वे योग्यता तथा अन्य अर्हता पूर्ण करते है। अपेक्षित योग्यता पूर्ण न करने पर प्रशासन भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि प्रशिक्षण के लिये चयनित कर लिया जाता है तो भी प्रशिक्षण से पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

7. **अंतिम तिथि–** इस कार्यालय में साधरण डाक के माध्यम से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि– **15.09.2015** समय **17:45** बजे तक है। आवेदक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा के भर्ती अनुभाग में रखी पेटी में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायः 17:45 बजे तक अंतिम तिथि –15.09.2015 तक आवेदन पत्र डाल सकते हैं।

8. आवेदन करते समय बरतने वाली सावधानियॉं– उम्मीदवार का नाम तथा पता, पिन कोड सहित बुलावा पत्र पर स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए। उम्मीदवार का एक नवीन फोटो ग्राफ नमूने मे दिए गए बुलावा पत्र के फार्मेट के अनुरूप दिए गए स्थान पर एवं दूसरा आवेदन फार्म मे निर्धारित स्थान पर चिपका होना चाहिए एवं दोनों ही फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिये। बुलावा पत्र आवेदन फार्म के साथ ही भेजना होगा। अपूर्ण/ओवर राइटिंग वाला/मिटाया हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण पत्र/शैक्षणिक/तकनीकी/विकलांग योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराये बिना संलग्न किए जाने वाले आवेदन रद्द कर दिये जायेगें। ऐसे उम्मीवार जिन्होने आई.टी.आई को एस.सी.वी.टी से उत्तीर्ण किया है वे आवेदन करने के पात्र नही है तथा ऐसे किसी भी आवेदन के सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किये गए कोई भी पत्राचार विचारणीय नही होगा तथा इस कार्यालय से कोई जबाव नही दिया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे एवं उन पर कोई विचार नही किया जायेगा। एक्ट प्रशिक्षुओ की भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर किसी डाक की देरी/गलत डिलेवरी हेतु मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झाँसी जिम्मेदार नही होगा।

प्रशिक्षण लेने हेतु आवेदन वाले लिफाके पर सबसे ऊपर "एक्ट अप्रेन्टिस वर्ष 2015–2016 के सापेक्ष झांसी मण्डल हेतु आवेदन पत्र" लिखा होना चाहिए।

9 चयन प्रक्रिया

1. प्रशिक्षण हेतु एक्ट अप्रेन्टिसों का चयन सभी पात्र उम्मीदवारों जिन्होंने अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन किया है, के लिए तैयार की गई मेरिट के आधार पर होगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाऐगा।
2. प्रशिक्षण हेतु चयन की मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण 10 वी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी परीक्षा मे प्राप्त किए गये सम्पूर्ण अंकों के प्रतिशत की आधार पर बनाई जाएगी।
3. प्रतिशत अंको का आधार शिक्षा बोर्ड/संस्थान द्वारा घोषित कुल अंको का प्रतिशत रहेगा न कि किसी एक विषय या विषयों के समूह में प्राप्त अंको का प्रतिशत।
4. एक से अधिक उम्मीदवारों के 10 वी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी परीक्षा में बराबर अंक/प्रतिशत आने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार जिसकी जन्म तिथि पहले हो, वरीयता सूची में कम आयु वाले के उपर रहेगा, बाद की जन्म तिथि वाला नीचे रहेगा। उक्त जानकारी (ऑंकडे) कम्प्यूटरीकृत होंगे और इसी प्रकार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी।
5. मेरिट के आधार पर ट्रेड/समुदाय/कोटि (आरक्षण कोटि) के अनुसार चयन सूची बनाई जायगी।
6. चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिये बुलाया जायेगा।
7. रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण पाये जाने के उपरान्त जारी मेडीकल सर्टिफिकेट दिये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण के योग्य माना जायेगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी शिक्षुता/प्रशिक्षण समाप्त समझा जायेगा एवं उसका प्रशिक्षण हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारो को दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जायेगा।
9. चयनित प्रशिक्षुओं को होस्टल/आवास प्रदान नहीं किया जायेगा तथा अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

   9.1 अप्रेन्टिस प्रशिक्षण का कोर्स पास करने के बाद रेलवे नियुक्ति की कोई गांरटी नही है।

   9.2 जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान/स्थापना से अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आवेदन करने के पात्र नही है।

10 **ट्रेनिंग का करार–** अप्रेन्टिस प्रशिक्षण शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार को या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एमप्लायर के साथ अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अनुरूप अप्रेन्टिसशिप करार करना होगा।

11 शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल, रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की कोई गांरटी नहीं होगी।

12. उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपनी विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी है तो उसे किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये निकाल दिया जायेगा।

आवेदन प्रारुप

उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मण्डल में वर्ष 2015–16 के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण पाने हेतु आवेदन
अधिसूचना संख्या –01/2015/झांसी मण्डल

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें

सेवा में,
मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
उत्तर मध्य रेलवे, झांसी
ट्रेड (बड़े अक्षरों में)..............................

कृपया किसी एक बक्से में सही का निशान लगायें–

सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.जा.	शा. वि.	भू.पू. कर्म.

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)..............................
2.. पिता का नाम एवं पेशा..............................
3. राष्ट्रीयता..............................
4. धर्म..............................
5. जन्म तिथि (अंको में)..............................
   (ईस्वी सन् में) अक्षरों में..............................
   (सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए)
6. पत्र व्यवहार का पता मकान संख्या..............................ग्राम/शहर..............................
   डाकखाना..............................जिला..............................
   राज्य..............................पिन कोड..............................
   नजदीकी रेलवे स्टेशन..............................
7- स्थायी पता ....
8. जाति

सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.जा.

9. भूत पूर्वसैनिक

हॉं	नही

10. शारीरिक विकलांगता

हॉं	नही

11. शैक्षिक योग्यता

हाई स्कूल या समतुल्य	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/शिक्षण प्राधिकरण	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

(सत्यापित प्रतियॉं संलग्न होनी चाहिए)

12. तकनीकी योग्यता–

एन.सी.वी.टी. से आई.टी.आई	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/शिक्षण प्राधिकरण	ट्रेड	प्रतिशत

(सत्यापित प्रतियॉं संलग्न होनी चाहिए)

13. दो व्यक्तिगत पहचान चिन्ह (1)..............................
    (2)..............................
14. संलग्नकों की संख्या ....
15. **घोषणा: (क)** मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन सम्पूर्ण तथा सटीक हैं तथ मेरी जानकारी में हैं। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरणो में कोई सूचना गलत या झूठी हो तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। (ख) मैं यह भी समझता हूं कि रेलवे का एक भाग अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दिए जाने वाला प्रशिक्षण केवल हमें आवन्टित ट्रेड पर मिलेगा तथा मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रेलवे में रोजगार प्रदान नही किया जाएगा। अतः रोजगार के लिए कोई दावा नही हैं।

स्थान..............................
दिनांक.............................. उम्मीदवार का बायें अंगूठे का निशान उम्मीदवार के पूरे हस्ताक्षर

बुलावा पत्र

उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षण पाने हेतु

बुलावा पत्र का प्रारुप

अधिसूचना संख्या –01/2015/झांसी मण्डल
(उम्मीदवार द्वारा स्वयं भरा होना चाहिए)

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें

1. उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में)..............................
2. पिता का नाम:..............................
3. पत्राचार के लिए पता:..............................
   पुलिस स्टेशन सहित:..............................
4. नजदीकी रेलवे स्टेशन:..............................

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

अनुक्रमांक..............................

आपको मूल प्रमाणपत्रों एवं शारीरिक स्वस्थता की जॉंच हेतु भर्ती अनुभाग, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय झॉंसी में आने का निर्देश दिया जाता है। यदि उम्मीदवार ....तिथि को आने में असमर्थ रहा तो फिर उसे अवसर नही दिया जायेगा। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का टी.ए./डी. नही दिया जायेगा।

तिथि.............................. प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

24x7 यात्री सेवा हेल्पलाइन नं0. 138 602/15(I)